राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.7(94) परि/नियम /मु0/2020/6981 जयपुर, दिनांक 30.04.2020

समस्त
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– BS-IV वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

BS-IV वाहनों के पंजीयन के संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश 6875 दिनांक 24.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। BS-IV वाहनों के पंजीयन के संबंध में ऐसे वाहनों के पंजीयन के लिए मार्गदर्शन चाहा गया है जो BS-IV वाहन TRC पर विक्रित किये गये हैं, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में वाहनों के पंजीयन संबंधित मूल दस्तावेज तथा वाहन को लेकर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते। वाहन सोफ्टवेयर पर ENTER होने से इन वाहनों की समस्त डाटा फिडिंग हो चुकी है। वाहन के पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज इनवाइस, विक्रय प्रमाण पत्र (फार्म नम्बर 21), सड़क उपयुक्कता प्रमाण पत्र (फार्म नम्बर 22 व 22A) मूल रूप में तथा निवास/पते का सबूत, बीमा प्रमाण पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में वाहन डीलर्स के स्तर पर होने वाले पंजीयन हेतु उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों को स्केन करके वाहन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का व्यवस्थापन पूर्व में ही अनुमत किया हुआ है जिसमें अपलोडिंग के उपरांत मूल दस्तावेज वाहन स्वामी को लौटा दिया जाता है।

देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वाहन विक्रताओं को ऑन लाइन/डिजिटल आवेदन फार्म (फार्म नम्बर 20) पंजीयन प्रधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाना अनुमत किया जाता है। ऐसे BS-IV वाहनों के पंजीयन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। पंजीयन करने से पूर्व वाहन के समस्त बकायात मोटर यान कर, ग्रीन टैक्स, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क, अन्य सभी शुल्क तथा प्रशमन राशि (यदि कोई देय हो) आदि का जमा होना सुनिश्चित करें।

उक्त सुविधा BS-IV कम्पलिट बिल्ट वाहनों को ही संदेय होगी। जिन चैचिस पर बॉडी निर्मित होनी है, उन वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। उक्त सुविधा ऐसे प्रकरणों में प्रदान नहीं की जाएगी।

यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक से वाहना का सडक उपयुक्त्ता का अन्डर टेकिंग सॉफ्ट कॉपी (स्केन) में प्राप्त किया जाये तथा लॉकडाउन समाप्ति के बाद उपरोक्त वर्णित समस्त दस्तावेजों की आवश्यक मूल प्रतियां तथा अन्य की सत्य प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः—प.7(94) परि/नियम /मु0/2020/6982-6986 जयपुर, दिनांक 30.04.2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)